राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या – 2252/11/कोटा.	7. अपील संख्या – 2258/11/कोटा.
2. अपील संख्या – 2253/11/कोटा.	8. अपील संख्या – 2259/11/कोटा.
3. अपील संख्या – 2254/11/कोटा.	9. अपील संख्या – 2260/11/कोटा.
4. अपील संख्या – 2255/11/कोटा.	10. अपील संख्या – 2261/11/कोटा.
5. अपील संख्या – 2256/11/कोटा.	11. अपील संख्या – 2262/11/कोटा.
6. अपील संख्या – 2257/11/कोटा.	12. अपील संख्या – 2263/11/कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रेडियन्ट सेटेलाईट प्रा0 लिमिटेड, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

13. अपील संख्या – 1201/13/कोटा.	19. अपील संख्या – 1207/13/कोटा.
14. अपील संख्या – 1202/13/कोटा.	20. अपील संख्या – 1208/13/कोटा.
15. अपील संख्या – 1203/13/कोटा.	21. अपील संख्या – 1209/13/कोटा.
16. अपील संख्या – 1204/13/कोटा.	22. अपील संख्या – 1210/13/कोटा.
17. अपील संख्या – 1205/13/कोटा.	23. अपील संख्या – 1211/13/कोटा.
18. अपील संख्या – 1206/13/कोटा.	24. अपील संख्या – 1212/13/कोटा.

मैसर्स रेडियन्ट सेटेलाईट प्रा0 लिमिटेड,
जी–247, रोड़ नं0 5, I.P.I.A., कोटा. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य.

उपस्थित : :

श्री डी. कुमार व श्री मुकेश गुप्ता,
अभिभाषकगण .....व्यवहारी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा उक्त अपील संख्या (1–12) 2252/2011 से 2263/2011 उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 1 से 6/मनो/2010–11/कोटा एवं 1 से 6/मनो/2011–12/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.07.2011 के विरूद्ध एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील संख्या (12–23) 1201/2013 से 1212/2013 अपीलीय अधिकारी के अपील संख्या 7 से 18/मनो/2011–12/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.11.2012 के विरूद्ध राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम 1957 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 13(बी) के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

लगातार.....2

2. इन सभी अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का कोटा शहर में 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' सर्विस का व्यवसाय है तथा उसके द्वारा विभिन्न चैनलों के सेटेलाईट के जरिये ब्रॉडकास्ट सिग्नल प्राप्त कर एवं उन्हें केबल ऑपरेटरों (फ्रेंचाईजी) के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाये जाते हैं। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत—'बी', कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12(14)एफ.डी./टैक्स/2006—139 दिनांक 08.03.2006 के आलोक में रूपये 20/— प्रति उपभोक्ता मनोरंजन कर जमा कराने एवं मासिक प्रपत्र एस.टी.—5 दोहरी प्रति में उपभोक्ताओं के नाम—पते प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में व्यवहारी द्वारा 162 केबल ऑपरेटर्स की सूची प्रस्तुत की गयी, किन्तु कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 4एए, 9ए, 10(3)(बी) सपठित नियम 18बीबीबी के तहत अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों अक्टूबर, 2008 से सितम्बर, 2010 (24 माह) के पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश पारित किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त कर निर्धारण आदेशों में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्टार इण्डिया प्रा0 लि0 के अनुबंध संख्या सी—07—1501 दिनांक 01.04.2007 के अनुसार दिनांक 28.02.2008 को 54,637 उपभोक्ता सब्स्क्राइब होने के आधार पर प्रति उपभोक्ता रूपये 20/— की दर से तद्नुसार कर आरोपित किया गया एवं उक्त देय कर नियत समयावधि में जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर ब्याज भी आरोपित किया गया। इसी प्रकार व्यवहारी द्वारा अपने उपभोक्ताओं के नाम/पते की सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर अधिनियम की धारा 10(3)(बी)(iii) के तहत शास्ति रूपये 500/— भी आरोपित की गयी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	अपील संख्या	आलौच्य अवधि	कर निर्धारण आदेश दिनांक	आरोपित कर, ब्याज व शास्ति
1	2	3	4	5
1.	2252/2011	अक्टूबर, 2008	27.10.2010	15,94,079
2.	2253/2011	नवम्बर, 2008	27.10.2010	15,72,224
3.	2254/2011	दिसम्बर, 2008	27.10.2010	15,50,369
4.	2255/2011	जनवरी, 2009	27.10.2010	15,28,514
5.	2256/2011	फरवरी, 2009	27.10.2010	15,06,659
6.	2257/2011	मार्च, 2009	27.10.2010	14,84,804
7.	2258/2011	अप्रैल, 2009	24.03.2011	15,68,582

लगातार.....3

1	2	3	4	5
8.	2259/2011	मई, 2009	24.03.2011	15,46,727
9.	2260/2011	जून, 2009	24.03.2011	15,24,872
10.	2261/2011	जुलाई, 2009	24.03.2011	15,03,017
11.	2262/2011	अगस्त, 2009	24.03.2011	14,81,162
12.	2263/2011	सितम्बर, 2009	24.03.2011	14,59,307
13.	1201/2013	अक्टूबर, 2009	20.09.2011	15,68,582
14.	1202/2013	नवम्बर, 2009	20.09.2011	15,46,727
15.	1203/2013	दिसम्बर, 2009	20.09.2011	15,24,872
16.	1204/2013	जनवरी, 2010	20.09.2011	15,03,017
17.	1205/2013	फरवरी, 2010	20.09.2011	14,81,162
18.	1206/2013	मार्च, 2010	20.09.2011	14,59,307
19.	1207/2013	अप्रैल, 2010	20.09.2011	14,37,552
20.	1208/2013	मई, 2010	20.09.2011	14,15,697
21.	1209/2013	जून, 2010	20.09.2011	13,93,842
22.	1210/2013	जुलाई, 2010	20.09.2011	13,71,987
23.	1211/2013	अगस्त, 2010	20.09.2011	13,50,132
24.	1212/2013	सितम्बर, 2010	20.09.2011	13,28,277

4. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अक्टूबर, 2008 से सितम्बर, 2009 तक के लिये पारित कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.07.2011 से स्वीकार किये जाने के विरूद्ध विभाग द्वारा अपील संख्या 2252/2011 से 2263/2011 प्रस्तुत की गयी है। इसी प्रकार आलौच्य अवधि अक्टूबर, 2009 से सितम्बर, 2010 तक के लिये पारित किये गये कर निर्धारण आदेशों दिनांक 20.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **31 टैक्स अपडेट 35 मैसर्स इण्डसइण्ड मीडिया एण्ड कम्युनिकेशन लिमिटेड व अन्य** के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2012 से अस्वीकार करते हुए, प्रकरण पुनः कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि व्यवहारी को पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी जांच के दस्तावेज उपलब्ध करवाकर पुनः आदेश पारित करें।

5. अतः अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध विभाग एवं व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

6. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश एवं अपीलीय आदेश दिनांक 09.11.2012 का विरोध करते हुए कथन किया कि उसके द्वारा ब्रॉडकास्टर से सिग्नल रिसीव किये जाकर केबल ऑपरेटर (फ्रेन्चाईजी) के कन्ट्रोल रूम तक ही सप्लाई किये जाते हैं तथा केबल ऑपरेटर्स इन सिग्नल्स को अपने कन्ट्रोल रूम से स्वयं की केबल द्वारा उपभोक्ताओं तक

लगातार.....4

पहुंचाते हैं। इस प्रकार केबल सर्विस उपभोक्ताओं तक 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' उपलब्ध कराने का कार्य व्यवहारी द्वारा नहीं किया जाकर केबल ऑपरेटरों (फ्रेन्चाईजी) द्वारा किये जाने से वे ही उक्त मनोरंजन के प्रभारी व्यक्ति होने के कारण मनोरंजन कर देयता का दायित्व भी इन्हीं केबल ऑपरेटर्स का है। अतः व्यवहारी का अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर देयता का कोई दायित्व नहीं बनता है। विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध करारोपण की कार्यवाही की जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने एवं अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने वैकल्पिक तर्क के साथ कर निर्धारण का विरोध करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2008—09 एवं वर्ष 2009—10 के पारित आदेशों में सब्स्क्राईबर की संख्या वर्ष 2006—07 एवं 2007—08 में विभिन्न चैनल सर्विस प्रदाता के साथ किये गये करार के अनुसार निर्धारित कर दी गयी, जबकि सब्स्क्राईबर की संख्या वह संख्या नहीं होती जो कि चैनल को एक विशिष्ठ गारण्टी के रूप में दी जाती है। उन्होंने कथन किया कि वर्ष 2006—07 एवं 2007—08 के दौरान विभाग द्वारा की गयी जांच की प्रतिलिपियां पेश करते हुए कथन किया कि विभाग द्वारा विभिन्न केबल ऑपरेटर से प्राप्त की गई राशि एवं प्रत्येक केबल ऑपरेटर के सब्स्क्राईबर से प्रतिमाह ली जाने वाली राशि का हवाला दिया हुआ था, जिसमें औसत रूप से 200/— से 300/— रूपये के बीच अलग—अलग ऑपरेटर द्वारा प्रतिमाह राशि वसूल की गयी थी जबकि उन दोनों विवादित आदेशों में भी केवल सीधे 54637 उपभोक्ता मानते हुए प्रति उपभोक्ता रूपये 20/— की दर से कर आरोपित कर दिया गया जबकि वर्ष 2006—07 में स्टार टी.वी. के अलावा भी अलग—अलग चैनलों से अनुबंध के दौरान 5000 से लगाकर 10—20000 तक की मिनिमम गारण्टी दी गयी थी जो कि वास्तविक उपभोक्ताओं की संख्या नहीं थी। उन्होंने कथन किया कि उनके द्वारा केबल ऑपरेटर से जो राशि वसूल की गयी थी उसका पूरा लेखा उनके बहियात में दर्ज है एवं इस सम्बन्ध में तत्कालीन समय में सर्विस टैक्स के लागू होने से प्रत्येक उपभोक्ता अनुसार सर्विस टैक्स जमा कराकर सेन्ट्रल एक्साईज एवं कस्टम विभाग में रिटर्न भी प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें प्रतिमाह केबल ऑपरेटर के नाम सहित एवं उनसे प्राप्त की गई राशि का पूर्ण विवरण अंकित था

लगातार.....5

जिनकी प्रतियां भी पेश की गयी एवं अनुरोध किया कि एकपक्षीय रूप से सब्स्क्राईबर की संख्या मानते हुए जो कर निर्धारण किया गया है वह अपास्त कर उनके बहियात अनुसार पुनः गणना करने का भी निर्देश दिया जावे। विद्वान अभिभाषक श्री डी.कुमार द्वारा इस तर्क पर बल दिया कि चूंकि व्यवहारी कम्पनी द्वारा इसी मनोरंजन सेवा पर सर्विस टैक्स भी अदा किया है ऐसी स्थिति में एक ही सेवा पर दो कर आरोपणीय नहीं होने से इस आधार पर भी उन्हें निरस्त किया जाये।

8. बहस के दौरान विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 08.03.2006 के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी की प्रति उपभोक्ता रूपये 20/— की दर से मनोरंजन कर अदा करने की देयता बनती है, तद्नुसार ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण किया गया है। कथन किया कि स्वयं इसी अपीलार्थी से सम्बन्धित प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **एस.बी.सेल्स टैक्स (वेट) रिवीजन पिटिशन संख्या 96/2012 मैसर्स रेडियन्ट सेटेलाईट प्रा0 लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015** पारित करते हुए करारोपण की पुष्टि की जा चुकी है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **31 टैक्स अपडेट 35 इण्डसइण्ड मीडिया एण्ड कम्युनिकेशन लि0 एवं (2005) 140 एस.टी. सी. 154 (एस.सी.) स्टेट ऑफ वैस्ट बंगाल बनाम मैसर्स पूर्वी कम्युनिकेशन व अन्य** का हवाला देते हुए कथन किया कि इसी बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी करारोपण की विधिसम्मत निर्णीत किया गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने तथा व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

10. इन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विभिन्न चैनलों से प्राप्त सिग्नल एवं स्वयं की चैनल के सिग्नल उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने हेतु शहर में केबल ऑपरेटरों (फ्रेन्चाईजी) के माध्यम से पहुंचाने सम्बन्धी 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' का स्वत्वधारी (Proprietor) मानते हुए अधिनियम की धारा 4एए सपठित नियम 18बीबीबी के अन्तर्गत मनोरंजन कर अदायगी का दायित्व व्यवहारी का मानकर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अक्टूबर, 2008 से सितम्बर, 2010 तक की अवधि के लिये करारोपण के पृथक—पृथक आदेश पारित किये गये हैं।

लगातार.....6

11. उक्त प्रकरणों में विवाद का बिन्दु यह रहा है कि मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 4एए के तहत मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (MSO) पर कर का आरोपण किया जा सकता है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2011 को अक्टूबर, 2008 से सितम्बर, 2009 तक के मामलों में पारित किये गये आदेशों में व्यवहारी फर्म की अपीलें स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया गया है कि व्यवहारी फर्म एक MSO के रूप में कार्यरत है जो स्वयं सीधे सब्स्क्राईबर को सिग्नल मुहैया नहीं कराते हैं बल्कि उनके द्वारा केबल ऑपरेटर को सिग्नल दिये जाते हैं जो सब्स्क्राईबर को नेटवर्क की सेवा उपलब्ध कराते हैं ऐसी स्थिति में केबल नेटवर्क ऑपरेटर, जिन्हें व्यवहारी (MSO) द्वारा सेटेलाईट से प्राप्त सिग्नल को आगे प्रेषित किये जाते हैं एवं अन्ततः ऑपरेटर द्वारा सब्स्क्राईबर को कनेक्शन दिये जाते हैं अतः MSO पर कोई कर दायित्व नहीं होकर केबल ऑपरेटर पर ही उसका कर दायित्व होने से व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी थी। इसके पश्चात् वर्ष 2009–10 के कर निर्धारण के मामलों में अपील के निस्तारण के समय तक माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा इसी व्यवहारी के प्रकरण में दिनांक 01.03.2012 को यह निर्णय दिया गया कि व्यवहारी फर्म MSO के रूप में अधिनियम की धारा 4एए के तहत कर दायी है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय **मैसर्स इण्डसइण्ड मीडिया एण्ड कम्युनिकेशन लिमिटेड व अन्य बनाम मामलातदार व अन्य 31 टैक्स अपडेट 35 में** प्रतिपादित विधि के आलोक में निर्णय दिया गया था उसके फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी कम्पनी के वर्ष 2009–10 में मनोरंजन कर के तहत केबल नेटवर्क का प्रोपराईटर मानते हुए उस पर कर दायित्व होना मानते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था जिसमें व्यवहारी कम्पनी को सम्पूर्ण दस्तावेजों से अवगत कराते हुए रेकॉर्ड के आधार पर पुनः करारोपण किये जाने का निर्देश दिया गया था। इस तरह पूर्व में निर्णीत अपीलों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा यह विधि स्थापित की जा चुकी है कि उक्त व्यवहारी एक MSO के रूप में कार्यरत होने के कारण अधिनियम की धारा 4एए के तहत कर अदा करने के दायित्वाधीन है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध रिवीजन प्रस्तुत किये जाने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा **एस.बी.सेल्स टैक्स (वेट) रिवीजन पिटिशन संख्या 96/2012 मैसर्स रेडियन्ट सेटेलाईट प्रा0 लि0 बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में दिनांक 08.05.2015** को निर्णय पारित करते हुए व्यवहारी कम्पनी की निगरानी को खारिज करते हुए माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश की पुष्टि की गयी है जिसमें **स्काई मीडिया प्रा0 लि0 बनाम सहायक आयुक्त,**

लगातार.....7

वाणिज्यिक कर विभाग (2015) 5 वी.एस.टी. 96 आदेश दिनांक 16.02.2015 एवं **स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम पूर्वी कम्युनिकेशन प्रा0 लि0 (2005) 140 एस.टी. सी. 154 (एस.सी.)** के निर्णयों का हवाला देते हुए MSO को प्रोपराईटर की परिभाषा के अधीन माने जाने का आदेश करते हुए अपीलार्थी के कर दायित्व की पुष्टि की जा चुकी है।

12. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर कर का दायित्व व्यवहारी का माना जा चुका है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय हस्तगत प्रकरणों पर अक्षरशः चस्पा होने के कारण, अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

13. विद्वान अभिभाषक व्यवहारी का यह तर्क कि सर्विस टैक्स एवं मनोरंजन कर का आरोपण दोहरा करारोपण है, भी सारहीन रह गया है क्योंकि उक्त बिन्दु पर करारोपण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधिसम्मत माना जा चुका है, फलतः इस बिन्दु पर तर्क अस्वीकार किये जाते हैं।

14. उक्त सभी प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं, उनमें करारोपण करते समय सब्स्क्राईबर की गणना वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 के विभिन्न चैनल के साथ किये गये अनुबंध के आधार पर की गयी है, जबकि सुनवाई के दौरान व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने विभाग द्वारा केबल ऑपरेटर के यहां पर की गई जांच की प्रतियां भी पेश की है जिसमें केबल ऑपरेटर के माध्यम से सब्स्क्राईबर की संख्या उनके द्वारा ली जाने वाली प्रतिमाह राशि एवं सकल राशि जो व्यवहारी कम्पनी को अदा की गई है, उसके गुणात्मक निष्कर्ष पर लगभग 200/– 300/– रूपये के बीच राशि आती है, जिससे सब्स्क्राईबर की संख्या की गणना भी की जा सकती है। चूंकि उक्त सभी विवादित महीनों के कर निर्धारण आदेश में एक समान सब्स्क्राईबर की संख्या मानकर कर निर्धारण किया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी वर्ष 2009–10 के आदेश में अपील अस्वीकार करने के साथ इस बिन्दु पर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये गये हैं, उसी अनुसार उक्त सभी प्रकरणों में पुनः कर निर्धारण किया जाना न्यायसंगत है अतः इस बिन्दु पर समस्त प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर व्यवहारी की

लगातार.....8

लेखा—पुस्तकों, विभागीय जांच एवं कम्पनी द्वारा सेन्ट्रल एक्साईज एवं कस्टम विभाग में प्रस्तुत किये गये रिटर्न, जिसमें केबल ऑपरेटर द्वारा प्राप्त की गयी राशि का विवरण भी सम्मिलित है, के आधार पर सब्स्क्राईबर की संख्या निश्चित करते हुए पुनः आदेश पारित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

15. फलतः इस विधिक बिन्दु पर कि व्यवहारी कम्पनी मनोरंजन कर की धारा 4एए के तहत कर दायित्वाधीन है, पर कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है एवं उक्तानुसार अपील संख्या 2252 से 2263/2011 में विभाग द्वारा की गयी अपीलों को स्वीकार किया जाकर अपीलीय आदेश को अपास्त किया जाता है एवं अपील संख्या 1201 से 1212/2013 जो व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार करने को चुनौती दी गयी है, उन्हें अस्वीकार कर विभाग के पक्ष में किये गये अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है। इस तरह समस्त मामलों में व्यवहारी को मनोरंजन कर के तहत दायित्वाधीन माना जाता है एवं सभी प्रकरणों में वास्तविक उपभोक्ताओं की संख्या का निर्धारण व्यवहारी की बहियात, सेन्ट्रल एक्साईज में प्रस्तुत रिटर्न एवं केबल ऑपरेटर्स द्वारा किये गये भुगतान में औसत राशि का भाग देते हुए निर्धारित करने के निर्देश के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

16. निर्णय सुनाया गया।

10/07/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य